

डिकी ब मुकदमें इब्तादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

मानसिंह बनाम भीकसिंह वगैराह

जावा बाबत 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व मूल वाद संख्या 33/2020

इह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील जेठाराम चौहान मनजानिव मुदई वकील रामदयाल चौधरी व उदयसिंह कच्छावाह मनजानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खवासपुरा के खसरा संख्या पुराना 201, 202 खसरा संख्या नया 448, 451, 452 मे वादी एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त मौका रिपोर्ट(विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 18/06/2025 बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार रहेगा। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय एवं डिकी के भाग रहेगें। वादी के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की जारी की जाती है कि वादी के बंट में आई हुई भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलन्दाजी उत्पन्न नहीं करे एवं न किसी अन्य कर से करावे। तहसीलदार पीपाड़ शहर राजस्व रेकॉर्ड में आवश्यक कार्यवाही करे।

लीज.....शून्य.....मुवलिक.....शून्य.....बाबत.....शून्य.....खर्चा
इस मुकदमें के मय सूद व शरद.....शून्य.....फीसदी सालाना आज की तारीख से
तारीख वसूलयाबी तक.....शून्य.....को आदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/04/2026 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत.....सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा.....पीपाड़ शहर (जोधपुर)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजोदाबा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान.....			स्टाम्प वकालतनाम स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान.....		

नोट:-इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।